रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 1975/माघ 9, 1896
No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1975/MAGHA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th January 1975

S.O. 57(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Exports (Control) Order, 1968;—

(i) in clause (2), for item (ff), the following shall be substituted, namely:—

'(ff) "Silver" means Silver bullion, Silver sheets and plates which have not undergone any process of manufacture subsequent to rolling;'.

(ii) in clause 3A for sub-clauses (b) and (c), the following sub-clauses shall respectively be substituted, namely:—

"(b) the value of the silver agreed to be exported is

(i) in the case of export to the United States of America, not less than the price of silver announced by Messrs Handy and Harman, New York on the working day previous to the date on which the application under sub-clause (a) is made, as reduced by sixty rupees per kilogram;

(ii) in the case of export to countries other than the United States of America, not less than the London price fixed on the working day previous to the date on which the application under sub-clause (a) is made, as reduced by fifty rupees per kilogram;

(c) the date of shipment stipulated under the terms of the export control falls within fifteen days of the date of the contract; and".

[No. E(C)O, 1968/AM(147)]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1975

का० आ० 57 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए ।

(2) यह तत्काल लागू होगा ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में:—

(1) धारा (2) में, मद (एफ एफ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(एफ एफ) "रजत" का अर्थ है रजत बुलियन, रजत पतर और पट्टू जिन पर वेलन फेरने के बाद विनिर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है" ;

(2) धारा 3 (ए) में, उप-धाराएं (बी) और (सी) के लिए निम्नलिखित उप-धाराएं क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(बी) निर्यात किए जाने के लिए रजत का सम्मत मूल्य है :—

(1) संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के मामले में जिस तिथि को उप-धारा (ए) के अधीन आवेदन पत्र दिया जाता है उससे पहले कार्य दिवस को सर्वश्री हेन्डि एण्ड हार्मन, न्यूयार्क द्वारा रजत की घोषित कीमत से कम न हो क्योंकि प्रति किलोग्राम साठ रुपये घट गई है;

(2) संयुक्त राज्य अमरीका से भिन्न देशों को निर्यात के मामले में जिस तिथि को उप-धारा (ए) के अधीन आवेदन पत्र दिया जाता है उससे पहले कार्य दिवस को नियत की गई लंदन कीमत से कम न हो, क्योंकि प्रति किलोग्राम पचास रुपये घट गई है ;

(सी) निर्यात संविदा की शर्तों के अधीन पोत लदान की निर्धारित तिथि संविदा की तिथि से 15 दिनों के भीतर आती है; और ।"

[सं० ई (सी) ओ, 1968/ए एम (147)]

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975